न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 92 सन् 2008
पंजीयन दिनांक 19.05.2008

रतनलाल पिता नेता जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. केशुराम पिता गंगाराम जाति माली निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. उदयराम पिता गंगाराम जाति माली–मृतक के बजाय
   1. भंवरलाल पिता उदयराम जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रभु पिता उदयराम जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. रामा पिता उदयराम जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   4. श्रीमती नन्दु पत्नि उदयराम जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. किशना पिता गुणेश जाति माली–मृतक के बजाय
   1. शंकर पिता किशना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. नाथु पिता किशना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. कैलाश पिता किशना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. लालुराम पिता गोटु जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. रतन पिता गोटु जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. मु0 चांदी पुत्री गोटु जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. कंकु बेवा गोटु जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. नारायण पिता गंगाराम जाति माली–मृतक के बजाय
   1. जगदीश पिता नारायण जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. रामेश्वरलाल पिता नारायण जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. श्रीमती नन्दु बेवा नारायण जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

9. भेरा पिता गंगाराम जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
10. वरदु पिता पन्ना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
11. गोपाल पिता चुना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
12. रूपलाल पिता चुना जाति माली निवासी बडिया का कुंआ नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
13. मु0 घीसी बेवा चुना जाति माली–मृत (नाम तर्क किया)
14. किशनलाल पिता उदा जाति गुर्जर–मृतक के बजाय–
    1. मांगीलाल पिता किशनलाल जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
    2. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री किशनलाल पत्नि गोवर्धन जाति गुर्जर निवासी गंठेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
15. श्रीमती चांदी पुत्री उदा पत्नि नाथु जाति गुर्जर निवासी करसाना का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
16. परथु पिता दल्ला जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
17. भेरा पिता दल्ला जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
18. गेहरू पिता भगवाना जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
19. बाबु पिता भगवाना जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
20. शंकर मुत्तबन्ना छोटु जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
21. मु0 जमनी बेवा भगवाना जाति गुर्जर निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
22. मु0 दीदा पुत्री भगवना जाति गुर्जर निवासी बोरदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
23. तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
प्रकरण संख्या 02/2006 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.12.2007

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्टगण–1 से 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 23

निर्णय **दिनांक 31.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने वादपत्र इस आशय का खातेदारी घोषणा बंटवाडा, आराजीयात व स्थायी निषेधज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा नाहरगढ तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 96, 109, 114, 139 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया व यह निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व मे गोकल रामा उर्फ गांगा पीसरान खेमराज खुमान वल्द डुंगा व दल्ला वल्द मोडा माली निवासी नाहरगढ के शामलाती कब्जे व हिस्से मे चली आ रही थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 13 के नाम दर्ज हुई थी उक्त आराजीयात मे से 96 ,109 114, 139 रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 13 के पूर्वजो के कब्जे काश्त व खातेदारी मे दर्ज थी किन्तु आराजी नम्बर 139 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा गलत रूप से अपीलान्ट प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 13 पुनः अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी होने से वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे विवादित आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 13 के पूर्वजो के खातेदारी मे दर्ज रही हो। विवादित आराजी नम्बर 139 जरिये नामान्तकरण सं. 95 से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के जरिये पट्टा दर्ज हुई जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के पूर्वजो की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के नाम दर्ज हुई जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 अपनी खातेदारी मे दर्ज करा काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वर्तमान मे भी आराजी नम्बर 139 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा अन्य आराजीयात के साथ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0. 14 से 22 के नाम दर्ज होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के विरूद्ध बिना तामील किये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के खातेदारी की आराजीयात की घोषणात्मक डिक्री पारित कर फर्द बंटवाडा मंगवाये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील धारा 5 के कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 23 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शथप पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि आराजी नम्बर 139 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के पूर्वजो की होकर जरिये विरासती नामान्तकरण सं. 95 से उक्त आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के नाम दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे कि आराजी नम्बर 139 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पूर्वजो की रही हो व गलत रूप से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 के नाम दर्ज हो गई हो। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने जो दस्तावेज नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ की जमाबन्दी खाता सं. 56 व पर्चा तस्दीक प्रस्तुत किया है जो प्रमाणित प्रतियां नही होकर फोटो प्रतियां है जो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रदर्शित तक भी नही हुई है। न ही ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए प्राथमिक डिक्री किया है। जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय की निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 23 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 23 की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 14 से 22 की प्रोपर तामील हुए बगैर एक तरफा कार्यवाही की जाकर बिना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी व नकल खर्चा खतौनी प्रमाणित प्रतियां नही होकर फोटो प्रतियां प्रस्तुत हुई है जिनको मौखिक साक्ष्य से प्रदर्शित कराना भी नही पाया जाता है न ही रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र को प्रमाणित कराने के लिये कोई मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत हुई है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपने वादपत्र को किसी भी रूप मे प्रमाणित नही कराया है। फिर भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का वादपत्र एक तरफा मे बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित होना मानते हुए प्राथमिक डिक्री किया है जो संहवनीय

नही होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 02/2006 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 12.12.2007 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ